



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24022026-270430  
CG-MH-E-24022026-270430

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]  
No. 119]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक  
(विदेशी मुद्रा विभाग)  
(केंद्रीय कार्यालय)  
अधिसूचना

मुंबई, 23 फरवरी, 2026

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026**

फा. सं. फेमा 6 (आर)/(5)/2026-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-2015) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहलाएगी।

ii. यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

## 2. अनुबंध का समावेशन -

मूल विनियमावली में, मौजूदा विनियमों के बाद, निम्नलिखित अनुबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

अनुबंध

### करेंसी घोषणा फॉर्म

[विनियम 6 देखें]

प्रवासियों के लिए अनुदेश -

1. जहाँ प्रवासी द्वारा करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा प्रवासी चेकों के रूप में लायी गयी विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है या उसके समतुल्य नहीं है और / अथवा विदेशी मुद्रा नोटों का मूल्य 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक या उसके समतुल्य नहीं है, ऐसे मामलों में यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
2. प्रवासियों को सूचित किया जाता है कि वे यह फॉर्म भारतीय रुपए में विदेशी मुद्रा का परिवर्तन या रुपया का विदेशी मुद्रा में पुनर्परिवर्तन करते समय विदेशी मुद्रा में कारोबार करने हेतु प्राधिकृत बैंक अथवा मुद्रा परिवर्तक को प्रस्तुत करें।
3. भारत का दौरा करने वाले आगंतुक कृपया नोट करें कि यदि उन्हें नीचे घोषित सभी विदेशी मुद्रा का नकदीकरण नहीं करना है तो उन्हें भारत से प्रस्थान करते समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए इस फॉर्म को अपने पास रखना चाहिए ताकि वे अप्रयुक्त जमाराशि अपने साथ ले जा सकें।
4. यात्री चेकों/करेंसी नोटों का ब्योरे देने की कोई जरूरत नहीं है।
5. विदेशी पर्यटक अपना पता न दें।

(प्रवासी द्वारा भरा जाना चाहिए)

मैं \_\_\_\_\_

एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि भारत में मेरे आगमन के समय मेरे पास निम्नलिखित विदेशी मुद्रा है -

(केवल कुल मूल्य)

	करेंसी का नाम	करेंसी नोट	यात्री चेक	कुल
1.				
2.				
3.				

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पासपोर्ट संख्या \_\_\_\_\_

राष्ट्रीयता \_\_\_\_\_

(सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नाम के व्यक्ति ने ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार विदेशी मुद्रा अपने साथ लायी है।

दिनांक \_\_\_\_\_

(सीमा शुल्क अधिकारी की मुहर तथा हस्ताक्षर)

(पृष्ठांकन हेतु स्थान)

दिनांक	नकदीकरण प्रमाणपत्रों की स्पष्ट संख्या	परिवर्तित राशि	बैंक अथवा मुद्रा परिवर्तक की मुहर तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./694/2025-26]

**टिप्पणी :**

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

- दिनांक 26.02.2019 की अधिसूचना- जी.एस.आर. सं.151(ई)
- दिनांक 11.08.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(2)/2020-आरबी (18.08.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)
- दिनांक 03.12.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी (04.12.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)
- दिनांक 28.11.2025 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(4)/2025-आरबी (02.12.2025 को राजपत्र में प्रकाशित)

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
 (CENTRAL OFFICE)  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 23rd February, 2026

**Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2026**

**F. No. FEMA 6 (R)/(5)/2026-RB.**— In exercise of the powers conferred by clause (ga) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA 6 (R)/RB-2015 dated December 29, 2015) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely: —

**1. SHORT TITLE & COMMENCEMENT:**

- i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2026.
- ii. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. INSERTION OF ANNEX:**

In the Principal Regulations, after the existing regulations, the following Annex shall be inserted, namely:

**Annex**

**CURRENCY DECLARATION FORM (CDF)**

[See Regulation 6]

**Instructions for passengers:**

1. This form need not be completed in cases where the aggregate value of the foreign exchange brought in by the passenger in the form of currency notes, bank notes, or travellers' cheques does not exceed U.S.\$ 10,000/- or its equivalent and/or the value of foreign currency notes does not exceed U.S.\$ 5,000 or its equivalent.
2. Passengers are advised to produce this form to a bank authorised to deal in foreign exchange or money changer at the time of conversion of foreign exchange into Indian rupees or reconversion of rupees into foreign exchange.
3. Visitors to India may please note that in case they do not wish to encash all the foreign exchange declared below they should retain this form with them for production to the Customs at the time of their departure from India to enable them to take with them the unutilised balance.
4. Details of travellers' cheques/currency notes need not be furnished.
5. Foreign tourists need not indicate their address.

(To be completed by passenger)

I \_\_\_\_\_  
 hereby, declare that the following foreign exchange is in my possession at the time of my arrival in India:

(Aggregate value only)

	Name of the currency	Currency notes	Travelers' Cheques	Total
1				
2				
3				

Signature \_\_\_\_\_

Passport No. \_\_\_\_\_

Nationality \_\_\_\_\_

**To be completed by Customs Officer**

This is to certify that the above named person has brought with him foreign exchange as indicated above.

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Stamp and Signature of Customs Officer)

(Space for endorsement)

Date	Distinctive Number of Encashment Certificate	Amount changed	Stamp and Signature of Bank or Money changer
1	2	3	4

N SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./694/2025-26]

**Note:**

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide GSR No.1004(E) dated December 29, 2015 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

- i. G.S.R. No. 151(E) dated 26.02.2019
- ii. No. FEMA 6 (R)/(2)/2020-RB dated 11.08.2020 (published in the Gazette on 18.08.2020)
- iii. No. FEMA 6 (R)/(3)/2020-RB dated 03.12.2020 (published in the Gazette on 04.12.2020)
- iv. No. FEMA 6 (R)/(4)/2025-RB dated 28.11.2025 (published in the Gazette on 02.12.2025)